भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोकसभा

तारांकित प्रश्न सं. 134

29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना द्वारा कृषि क्षेत्र का विकास

*134. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:
श्री सनातन पांडेय:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के दायरे का विस्तार करके कृषि संबंधी क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यनीति बनाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना द्वारा कृषि क्षेत्र का विकास” विषय के संबंध में दिनांक 29 जुलाई, 2025 को लोकसभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 134 के भाग (क) से (ग) के संबंध में उल्लिखित विवरण ।

(क) से (ग): पीएम-किसान योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमि वाले किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है।

किसान-केंद्रित, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा इस योजना का लाभ देश-भर के सभी पात्र किसानों तक बिना किसी मध्यस्थ की भागीदारी के पहुँचना सुनिश्चित किया गया है। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना की शुरुआत से 16.07.2025 तक 19 किस्तों में देश भर के पात्र किसानों को रुपये 3.69 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि वितरित की है।

वर्तमान में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का दायरा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****